पंजीयन संख्या : 68939 /98 अंक - 09, वर्ष - 24

ज्ञान तरंग

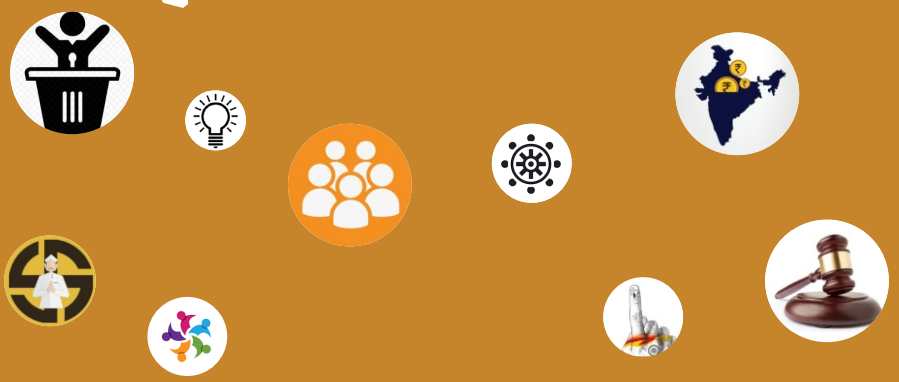

समाज शास्त्र | अर्थ शास्त्र | धर्म शास्त्र | राजनीति शास्त्र

421

- : सम्पादक :-
बजरंग लाल अग्रवाल
रामानुजगंज (छ.ग.)

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

पोस्ट की तारीख 01/10/2022
प्रकाशन की तारीख 16/09/2022
पाक्षिक मूल्य - 2.50/- (दो रूपये पचास पैसे)
पेज संख्या - 24

“ शराफत छोड़ो, समझदार बनो ”

“ सुनो सबकी, करो मन की ”

“ समस्याओं के प्रणेता, कर कानून नेता ”

“ समाधान का आधार ज्ञान यज्ञ परिवार ”

“ चाहे कोई अत्याचार, नहीं करेंगे नही सहेंगे ”

“ हमें सुराज्य नही, स्वराज्य चाहिए ”

सोशल मीडिया पर मुनि जी के विचार–

1 – आरक्षण के वर्तमान स्वरूप के विरोध पर क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रव्यापी यात्रा–

मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को घातक मानता हूँ,चाहे वह जातिगत आरक्षण हो या महिला आरक्षण। मेरे विचार से भीमराव अंबेडकर की श्रमजीविओ के प्रति नीयत खराब थी इसलिए उन्होंने बुद्धिजीवियों के पक्ष में आरक्षण लागू करा दिया। कल रविवार को राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से जम्मू से चलकर जंतर मंतर दिल्ली पर पर पूर्ण होने वाले एक राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा के कार्यक्रम के अंतर्गत यात्रा का रायपुर में वृंदावन हॉल में स्वागत हुआ जहां आयोजकों ने अपने विचारों के लिए मुझे भी आमंत्रित कर के सम्मानित किया। रथयात्रा में वक्ताओं ने दो मांगे मुख्य रूप से रखी, पहली जातीय आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए,दूसरी मांग यह थी कि जातिगत भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक समरसता को मजबूत किया जाए। इस आयोजन में अन्य जाति के लोगों को भी वक्ता के रूप में शामिल किया गया था। मुख्य वक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता ए0 पी0 सिंह जी ने अपनी बात विस्तार पूर्वक रखी। उनके तर्क बहुत प्रबल थे और सभी श्रोताओं ने एकजुट होकर उनके भाषण का समर्थन किया। मैंने भी उनके भाषण का समर्थन किया क्योंकि मैं मानता हूँ कि आरक्षण पूरी तरह गलत है किंतु वर्तमान समय में एकाएक उसे समाप्त करना संभव नहीं दिखता। इसलिए परिस्थिति के अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठाई जा सकती है। यदि वह भी संभव ना हो तो क्रीमी लेयर की जगह गरीबी रेखा तक आरक्षण को सीमित किया जा सकता है अथवा यह भी संभव है जिस परिवार को एक बार लाभ मिल गया हो उस परिवार के सभी सदस्य आरक्षण से बाहर कर दिए जाएं। चाहे कुछ भी हो किंतु वर्तमान ढंग के आरक्षण का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करना उचित है और क्षत्रिय महासभा ने इस संबंध में अच्छी पहल की है।

2– हिन्दुत्व विरोधी नेहरू परिवार की ढुलमुल राष्ट्र–निष्ठा पर भारी पड़ती भारतीय और हिंदुत्व की मोदी निष्ठा–

स्वतंत्रता से पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि योग्यता के मामले में नेहरू अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक योग्य है लेकिन विश्वसनीयता और पद–लोलुपता के मामले में नेहरू अन्य लोगों की तुलना में बहुत कमजोर हैं, फिर भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के मामले में उनकी नैतिकता हमेशा संदेह के दायरे में रही, महिलाओं के मामले में भी उनका विदेशी संबंध जगजाहिर हैं। इंदिरा गांधी के विषय में भी कुछ ऐसी ही मान्यता है। हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए गांधीजी ने फिरोज भाई को अपना नाम दे दिया था लेकिन फिरोज भाई की ईमानदारी भी इंदिरा को पसंद नहीं थी। राजीव गांधी को भी कोई भारतीय महिला

पसंद नहीं आई और अब उनकी चौथी पीढ़ी क्या सोच रही है, यह पता नहीं। स्पष्ट है कि नेहरू से लेकर आज तक इस परिवार को ना हिंदुत्व पर पूरा विश्वास रहा है और ना ही भारतीयता पर। इस परिवार ने हमेशा ही इस्लाम को मजबूत करने की कोशिश की,कश्मीर समस्या को विवादों में डालने के बाद धारा 370 ऊपर से और थोप दी गई। आबादी बढ़ाने के लिए हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों को चार गुना अधिक शादी की छूट दी गई। अन्य कई मामलों में भी मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए गए। आज भी यह परिवार मुस्लिम एकता को इतना विश्वसनीय मानता है कि वह हिंदुत्व की नई–नई परिभाषाएं बनाता है लेकिन कभी भी इस्लाम को परिभाषित नहीं करता। भारत का हिंदू बहुत मजबूरी में ही एकजुट हो रहा है,हिंदुओं में एकजुटता हिंदुओं के स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। हिंदू आमतौर पर नैतिकता पर विश्वास करता है और मुसलमान संगठन शक्ति पर। हिंदुओं ने यदि नैतिकता की तुलना में संगठित होने को अधिक जरूरी समझा तो यह उसकी मजबूरी ही मानी जा सकती है जिसका सारा दोष नेहरू खानदान पर है। यदि नेहरु परिवार विपक्ष के रूप में भी सक्रिय रहना चाहता है तो इसे हिंदू और मुसलमान के बीच समानता का मार्ग पकड़ना होगा अन्यथा अब विपक्ष मुक्त भारत का मार्ग बहुत आसान दिख रहा है। अब भारत का हिंदू एक नए विभाजन का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। आगे का मार्ग स्वयं विपक्ष को तय करना है, मोदी को नहीं।

3– हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राहुल की पदयात्रा सद्भावना अथवा सांप्रदायिक–

राहुल गांधी पदयात्रा पर हैं। उनकी यह पहली भारत–जोड़ो यात्रा है। उन्होंने बयान दिया है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी संबंध सुधरना चाहिए और संघ परिवार इसमें बाधक है। संघ परिवार लगातार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ाता है। राहुल गांधी ने जो कहा है वह बात सच है कि संघ परिवार लगातार मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ हिंदुओं को सावधान करता है। इससे हिंदू मुस्लिम एकता में बाधा पैदा होती है। यह बात तो सच है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वर्तमान वातावरण में राहुल की सलाह कहाँ तक उचित है? भारत में मुसलमानों को संविधान और कानून के अनुसार विशेष अधिकार दिए गए हैं जबकि हिंदुओं को बराबरी का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। भारत का मुसलमान धार्मिक रूप से एकजुट है जबकि हिंदुओं में अनेक प्रकार के जातीय टकराव और बिखराव हैं। भारत का मुसलमान अपने को हिंसक शेर मानता है और हिंदुओं को निरीह गाय। ऐसे वातावरण में राहुल गांधी की सलाह को सही माना जाए अथवा षड्यंत्र,यह बात साफ नहीं हो रही है। नेहरू परिवार ने शुरू से ही मुसलमानों की आबादी बढ़ाने और हिंदुओं को दबाने के प्रयत्न किए। इन प्रयत्नों का लाभ संघ परिवार ने उठाया।

क्या राहुल गांधी ने कभी मुसलमानों को सलाह दी कि आप हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन मत करो,क्या राहुल गांधी ने भारतीय मुसलमानों को कभी यह

सलाह दी कि तुम धार्मिक आधार पर एकजुटता का प्रदर्शन मत करो, क्या राहुल गांधी ने मुसलमानों को कभी यह सलाह दी कि तुम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमानों की मदद मत करो और यदि ऐसी सलाह नहीं दी गई तो राहुल गांधी की सलाह पर संदेह पैदा होता है और संघ की सलाह पर विश्वास पैदा होता है कि गायों को शेर से दूरी बनाकर रखनी ही चाहिए। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि राहुल गांधी पंडित नेहरू की सांप्रदायिक नीतियों के समर्थन में हिंदू–मुस्लिम एकता की बात ना करके वास्तविक धरातल पर चर्चा करें जिससे समान नागरिक संहिता लागू हो सके और धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्नों से पैदा वाली सांप्रदायिकता की आग से बचाया जा सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो गंगा–जमुनी तहजीब के नारे में भी षड्यंत्र की गंध आती है। एकपक्षीय सलाह हमेशा घातक होता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी सांप्रदायिक सलाह देने से बचें।

4– कांग्रेस पार्टी का इस्लामिक विस्तारवाद, गृह युद्ध और भारत विभाजन अब महज एक सपना–

वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी समस्या है इस्लामिक विस्तारवाद। जिस तरह भारत में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त इस्लाम शेष बहुसंख्यक भारत को बराबरी की टक्कर दे रहा है वह बेहद खतरनाक है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की वर्तमान समय में सबसे बड़ी चिंता है हिंदू विस्तारवाद। कांग्रेस पार्टी हिंदू विस्तारवाद को एक खतरे के रूप में देख रही है। काँग्रेस पार्टी को यह महसूस हो रहा है कि यदि हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया तो भारत कभी भी दारुल इस्लाम नहीं बन पाएगा और उसका सपना अधूरा रह जाएगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में बीच का रास्ता निकल सकता है। यदि भारत का मुसलमान और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बराबरी का अधिकार देना स्वीकार कर ले और मुसलमानों को विशेष अधिकार देने की बात छोड़ दें तो हम हिंदू भी समान नागरिकता के आधार पर समझौता करने के लिए सहमत हैं। इसमें हमें किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं चाहिए। लेकिन हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी और मुसलमान मिलकर हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनावे। भारत में सबके लिए कानून समान होना ही चाहिए लेकिन संविधान की दुहाई देकर और भेदभाव पूर्ण कानून बनाकर पिछले 70 वर्षों से जिस तरह हिंदुओं को दबाकर रखा गया था अब वैसा कदापि संभव नहीं है। हमें बार–बार गृह युद्ध की धमकी दी जाती है। यदि बराबरी की मांग करने के लिए किसी प्रकार का गृह युद्ध होता है तो उस युद्ध की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों की ही होगी जिन्हें विशेष अधिकार चाहिए, हिंदुओं की नहीं जिन्हें समान अधिकार चाहिए। इसलिए यदि समान अधिकार की मांग करने पर किसी प्रकार का गृह युद्ध होता है तो अब हम उससे डरने वाले नहीं हैं। अब भारत की जनता किसी भी परिस्थिति में मुस्लिम विस्तारवाद को सहन नहीं करेगी, यह बात कांग्रेस पार्टी

को भी समझ लेनी चाहिए और भारत के मुसलमानों को भी समझ लेनी चाहिए। अब भारत का मुसलमान कश्मीर से आगे नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह बात भारत के आम मुसलमानों को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब भारत विभाजन का सपना कांग्रेस पार्टी को भी और मुसलमानों को भी छोड़ देना चाहिए। उन्हें अब अपनी आँखें खोलनी चाहिए और यथार्थ देखना चाहिए।

5– हिंसक–कामुक मुसलमान समस्या और समाधान–

समाचार है किसी निर्दोष लड़की अंकिता को एक मुसलमान लड़के ने जिंदा जला दिया जबकि उसका कोई अपराध नहीं था। उस मुसलमान लड़के ने उत्तेजना में आकर उसे जिंदा जलाया। विचारणीय प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों है और हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। मुसलमानों के अंदर सेक्स की उत्तेजना अधिक होती है। यह बात सही है और उस का प्रमुख कारण है उसका खतना। खतना हो जाने के कारण उसकी उत्तेजना और स्तंभन शक्ति दोनों ही बढ़ जाती है। दूसरी ओर उसका खान–पान भी हिंदुओं की तुलना में अधिक उत्तेजक होता है। खानपान और खतना दोनों मिलकर उसको नियंत्रण से बाहर कर देते हैं। तीसरी बात, कि वह बचपन से ही आमतौर पर हिंसक प्रवृत्ति का होता है और जब यह तीनों बातें एक साथ जुड़ जाती हैं तब वह अपने को शेर के समान समझने लगता है और समाज के लिए घातक हो जाता है। वह यह समझता है कि हिंदू गाय के जैसा निरीह प्राणी होता है जिसको खाना यह हमारा स्वाभाविक अधिकार है। उनकी ऐसी सोच ही आज की सबसे बड़ी समस्या है।

इस समस्या का हमें समाधान खोजना पड़ेगा। मैंने तो बचपन से ही सावधानी बरती थी कि जो खतना करा ले अथवा जिनका खानपान उत्तेजक हो अथवा जो शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ता हो हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैंने बचपन से ही सब को सलाह दी कि ऐसे लोगों को अपने घर के आस–पास नहीं बसने देना चाहिए क्योंकि खतना करा लेने के कारण वह हमेशा संदेहास्पद ही रहेगा और उसके स्वभाव में उत्तेजना आ ही जाएगी। मैं समझता हूँ कि भारत के मुसलमानों को अपनी इस नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। उसे खतना कराने से बचना चाहिए। उसे शुक्रवार को मस्जिद में होने वाले सामूहिक नमाज से भी बचना चाहिए। शुक्रवार की नमाज आप मस्जिद को छोड़कर कहीं अन्यत्र पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन मस्जिद में जाकर पढ़ना उचित नहीं है। मेरा हिंदुओं से भी यह आग्रह है कि यदि एक या दो शेर जंगल में हिंसक हो जाते हैं तो इसके कारण गायों को अपना स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसे लोगों को पिंजरे में बंद कर दें। अगर एक शेर के पिंजरे में बंद होने से निन्यानबे गायें सुरक्षित हो जाती हैं

तो शेर को पिंजरे मे बंद कर देना ही उचित है। क्योंकि निन्यानबे गायों को आप कभी शेर नहीं बना सकेंगे और न ही एक शेर के लिए निन्यानबे गायों का बलिदान देना चाहेंगे। इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि मुसलमानों को अब अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए और जो परिवर्तन के लिए तैयार ना हो, ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिंजरे में डाल दिया जाना चाहिए

6– भारतीय न्यायपालिका पर उपदेश कुशल बहुतेरे–

भारत की न्यायपालिका ने कई बार टिप्पणी की है कि विधायिका पर्याप्त विचार मंथन किए बिना ही कानून पारित कर देती है जिसके कारण न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता जाता है। विधायिका को गंभीर विचार मंथन करके ही कोई कानून बनाना चाहिए। मैं न्यायालय की इस बात से सहमत हूँ साथ ही मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि हमारी न्यायपालिका जो अंतिम आदेश पारित करती है कुछ ही दिनों बाद उस आदेश में फिर से पुनर्विचार करने को तैयार हो जाती है। ऐसा तो अपवाद स्वरूप होना चाहिए लेकिन ऐसा प्रतिदिन होता है कि किसी न किसी मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है। न्यायालय दुबारा इस पर विचार करता है। अभी हाल–फिलहाल बिलकिस बानो का मामला हो या सीबीआई का मामला सब मामलों में न्यायालय फिर से विचार करने को तैयार है। खुद अपने मामले में न्यायालय एक बार में विचार करके निर्णय क्यों नहीं देता कि उसे बार–बार अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। कहा जाता है "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। न्यायालय को चाहिए कि विधायिका सलाह देने के साथ–साथ अपने कार्य और जिम्मेदारी के ऊपर भी कुछ विचार करें।

7– सरकार का गैर कानूनी निर्माण और अवैध जब्ती से निपटना–

नोएडा में एक बहुमंजिली इमारत को न्यायालय ने गिरवा दिया। यह करीब सात सौ करोड़ की प्रॉपर्टी थी। यह इमारत भ्रष्टाचार द्वारा कुछ तकनीकी कारणों से अनुमति लेकर बनाई गई थी अर्थात अनुमति लेने में भ्रष्टाचार हुआ था। अनुमति देने वालों ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया था। अनुमति देने वाले सक्षम प्राधिकारी थे। अनुमति लेने वालों ने किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया था। यह बात सिद्ध हो गई कि भ्रष्टाचार करके अनुमति ली गई इसलिए यह कार्य अवैध था। अब इसमें दो प्रश्न उठते हैं कि क्या उस बिल्डिंग को गिराना ही एकमात्र विकल्प था अथवा स्वयं को कानून का रक्षक सिद्ध करने के लिए इस भवन को गिराने के बदले सदुपयोग किया जाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि भवन का अधिग्रहण कर लेना अधिक उपयुक्त था, इसे गिराना अच्छा विकल्प नहीं था। दूसरी बात कि क्या हमारे देश की शासन व्यवस्था अपराधियों के मामले में भी इतना ही कठोर है। मुख्य प्रश्न यह उठता है कि ट्विन टावर गिराने के मामले में कुछ अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया जो उचित नहीं था। भारतीय न्यायपालिका ने यह सिद्ध किया है कि कानून की

रक्षा के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकती है। लेकिन मेरे विचार से न्यायपालिका को ऐसी हिम्मत आपराधिक मामलों में भी दिखानी चाहिए सिर्फ तकनीकी मामलों में ही नहीं। मुझे तो कभी–कभी लगता है कि अरबों रुपए के ड्रग्स, जो जला दिए जाते हैं, उन्हें भी यदि वैध तरीके से वैध लोगों को नीलाम कर दिया जाए तो वह अधिक युक्तिसंगत होगा। मैं मानता हूँ कि किसी के पास भ्रष्टाचार का रुपया मिलता है तो रुपये में आग लगा देना किसी भी प्रकार से बुद्धिमानी नहीं है। हमें कहा जाता है कि हम उत्पादन बढ़ाए और हम अनाज की रक्षा करें, हम हर वस्तु को बचा कर रखें क्योंकि वह राष्ट्र की सम्पत्ति है और हमारी सरकार अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने में इस प्रकार की संपत्ति का सत्यानाश करें वह तो कतई उचित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस संपत्ति को किसी और तरीके से दंड देना चाहिए था। मैं तो यहां तक मानता हूँ कि यदि ड्रग्स भी जब्त होते हैं तो उनकी वैधानिक तरीके से लोगों को बिक्री की जा सकती है और करनी चाहिए।

8 – भारतीय राजनीति में विपक्ष और नीतीश, राहुल और केजरीवाल–

विपक्ष में इस समय ये तीन ही नेता दिखते हैं– राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार। राहुल गांधी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं । राहुल गांधी राजनीति का शुद्धीकरण चाहते हैं लेकिन उन्हें राजनीतिक दिग्गजों का ज्ञान नहीं है। उन्हें अपने साथियों का सहयोग भी नहीं मिल रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक अच्छी टीम होनी चाहिए जो राहुल के पास नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत ही योजनबद्ध तरीके से दो बार एक ही जुआ खेला। एक बार उन्होंने फ्रांस के रफाल पर और दूसरी बार पेगासस पर। अगर एक बार भी उनकी योजना सफल हो जाती तो मोदी के लिए संकट पैदा हो जाता। लेकिन उनकी दोनों ही योजनाएं असफल साबित हो गई। राहुल गांधी को अब राजनीति पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए और समाज सेवा की दिशा में आगे बढ्न चाहिए। यदि राहुल गांधी समाजसेवा में लग जाएँ तो वे बहुत आगे बढ़ सकते हैं परंतु सोनिया जी का राजनीतिक स्वार्थ उन्हे दबा रहा है। यदि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच तुलना करे तो अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता घट रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल उम्मीद से कई गुना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठ पकड़े भी जा रहे हैं। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल तेजी से आगे बढ़े थे उससे तो यही लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ही विपक्ष के नेता होंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता कम हुई है और वह भी उनके झूठ बोलने के कारण। नीतीश कुमार अभी विपक्ष के नेता के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता समाज में बराबर बनी हुई है। इस तरह वर्तमान परिस्थितियों में विपक्ष के नेता के रूप में नीतीश कुमार को मैं सबसे आगे मानता हूँ।

9– नरेंद्र मोदी सरकार में विश्व अर्थव्यवस्था में पहचान बनाते भारतीय उद्योगपति–

भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति लगातार दुनिया के उद्योगपतियों की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भारतीय उद्योगपति धीरे–धीरे विदेशों में भी अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। हमारे उद्योगपति भारत में इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं कि चाहे 5जी हो या कोरोना का टीका निर्माण,अब हम हर मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। वास्तव में अब नरेंद्र मोदी की बदली हुई स्वदेशी अर्थ–नीति का परिणाम दिखने लगा है। इसके पहले की सरकारें नेहरू परिवार के दबाव में विदेशियों का बहुत ध्यान रखती थी। हमारी पिछली सरकारें भारतीय उद्योगपतियों को हतोत्साहित करती थी, अपमानित भी करती थी और कई प्रकार के अनावश्यक कानूनों के जाल में उलझाकर भी रखती थी। पर्यावरण के कानून, श्रम–कानून और अन्य अनेक ऐसे कानूनी जाल थे जिनमें उलझकर हमारे उद्योगपति हमेशा दबाव में रहते थे। साथ में,उन्हें अपमानित भी होना पड़ता था। मनमोहन सिंह ने आज से करीब तीस वर्ष पहले आर्थिक नीतियों में कुछ आवश्यक बदलाव किए थे। लेकिन बाद में फिर से वही नेहरू खानदान का सत्ता पर दबदबा कायम हो गया और मनमोहन सिंह की सरकार चलाने की स्वतंत्रता छीन ली गई। फिर से भारत में आयात बढ़ने लगा। और दुनिया को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश होने लगी। आज भी आप देख सकते हैं कि नेहरू खानदान और उनके चाटुकार लगातार भारतीय उद्योगपतियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष गालियां ही देते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के बाद उद्योगपतियों की हिम्मत कुछ–कुछ बढ़ने लगी। फिर भी जहां–जहां नेहरू परिवार द्वारा संचालित सरकारें हैं, वहां–वहां आदिवासी कानून और अन्य अनेक प्रकार के अनावश्यक कानून थोपकर उद्योगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। वहां के उद्योगपति परेशान हैं। इधर उद्योगपतियों और मोदी सरकार के अच्छे संबंधों के कारण भारतीय उद्योग आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि भारत विदेशों को निर्यात करें। हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में भी आगे आने की कोशिश करें। जल्दी ही उद्योगों के साथ षड्यंत्र करने वाले लोगों की संख्या भारत में शून्य हो जाएगी।

10 – सावधान! सरकार से मुफ्त की चाह में स्वतंत्रता न खो दें हम..!!

हमारी सबसे बड़ी सामाजिक समस्या यह है कि हम गुलाम मानसिकता के हो गए हैं। हजारों वर्षों से हम गुलाम रहे और अंततः हमारे संस्कार गुलामों के समान हो गए। हम स्वतंत्रतापूर्वक अपने पारिवारिक या गांव संबंधी निर्णय लेने के लिए भी अपने को सक्षम नहीं पाते हैं। हर मामले में हम दूसरों के निर्देश की प्रतीक्षा करते हैं। आज स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश का यह हाल है कि हम सरकार को टैक्स देकर सुविधाएं लेने की उम्मीद करते हैं जो कि हमारी गुलाम मानसिकता का परिचायक

है। हम गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और कृषि उत्पादन पर टैक्स लगाकर शिक्षा पर खर्च करने की मांग करते हैं, यह हमारी गुलामी को दर्शाती है। हम आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स स्वीकार कर लेते हैं और हम सस्ती शिक्षा, सस्ती रेल सुविधा चाहते हैं। यह हमारी मानसिक गुलामी नहीं तो और क्या है। मैंने कल लिखा था कि हमें सरकार को देने और फिर उसे उसी तरह वापस लेने की गुलाम मानसिकता को छोड़ देनी चाहिए। सरकार हमें सुविधा दे या न दे लेकिन हमारे सारे टैक्स समाप्त करें। जितना सरकार को सुरक्षा और न्याय के लिए चाहिए उतना ही टैक्स ले बाकी काम समाज के जिम्मे जो है वह समाज कर लेगा। जिसको पढ़ना होगा वह पढ़ लेगा, जिसको खेती करना होगा वह कर लेगा। हम सरकार को पैसा दें और उस पैसे में से लूटपाट कर थोड़ा हमें वापस हो और उस वापसी में ही हम सुख का अनुभव करें, यह हमारी गुलाम मानसिकता है। लेकिन लूटने–पीटने वालों सब ने मेरी पोस्ट का विरोध किया क्योंकि उन्हें टैक्स लेने और बदले में सुविधा देने में फायदा दिखता है। यह बहुत ही घातक है कि गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी पर टैक्स लगाकर शिक्षा का बजट बढ़ाया जाता है। लेकिन कई स्वार्थी लोगों ने आकर कहा कि गरीब आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगा ।मैं कहना चाहता हूँ कि मध्यम अथवा निम्न आय वर्ग वाले आदमी भी श्रम की ओर कैसे आकर्षित होगा। श्रम को इतने नीचे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मेरा फिर से निवेदन है कि बुद्धिजीवियों द्वारा जो श्रम शोषण के तरीके खोजे जा रहे हैं यह अत्यंत घातक है। इसलिए टैक्स घटाओ और सुविधाएं बंद करो। हमें आपसे मुफ्त की सुविधाएं नहीं चाहिए हमें रोजगार चाहिए । हमारी आय बढ़नी चाहिए। हम स्वतंत्रतापूर्वक जहां चाहे वहां खर्च करें। हमारी यह शक्ति होनी चाहिए हमारी आर्थिक आमदनी बढ़े। सुविधाएं बढ़े या न बढ़े हमारी शक्ति बढ़े, यह हमारा आदर्श होगा। हम भीखमंगे बने रहे और सरकार हमें मुफ्त में रोटी देती रहे यह हमारी गुलामी है।

11 –ना मूर्ख बने, ना धूर्तय समझदार बनें इसी में सबकी भलाई–

जिस तरह समाज में प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थ और आक्रोश बढ़ रहा है वह बहुत ही घातक है। चालाक लोग हर मामले में सफल हो रहे हैं और चालाक लोग ही लगातार श्रद्धा को अंधविश्वास में बदल भी रहे हैं। यह अंधश्रद्धा ही व्यक्ति को शराफत की ओर ले जा रही है जबकि चालाक लोग तर्क को अपना हथियार बना रहे हैं । यह दोनों ही स्थितियां हमारे लिए घातक हैं क्योंकि शराफत के साथ जब अंधविश्वास भी जुड़ जाता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से ठगा जाता है और जब तर्क के साथ चालाकी जुड़ जाती है तो वह व्यक्ति ठग बनकर औरों को ठग लेता है। दुनिया में यही दो तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है कि चालाक लोग लगातार आम लोगों को शरीफ बनाना चाहते हैं उन्हें अंधविश्वास में ढकेले जा रहे हैं, उनके अंदर श्रद्धा भाव भर रहे हैं और स्वयं संग्रह कर रहे हैं। हमें दान देने की ओर प्रेरित करते

हैं। स्वयं हर प्रकार का संग्रह करते हैं धन संग्रह करते हैं, शक्ति संग्रह करते हैं, और हमें कहते हैं कि मतदान करो और स्वयं सारी मत इकट्ठे करते हैं। वे दान नहीं करते वे सिर्फ संग्रह करते हैं। तो अब समाज को इस विषय में जागृत करने की आवश्यकता है कि हम शरीफ नहीं बल्कि समझदार बनेंगे। हम इस बात को गहराई तक समझेंगे कि हम सोच समझ कर दान करेंगे क्योंकि बिना समझे–बुझे यदि दान भी किया जाता है और उस दान का उपगोग किसी के लिए अहितकर हो तो दाता को भी नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अब हमें शराफत से समझदारी को ओर चलने का अभियान चलाना चाहिए

यह बात बहुत लंबे समय से सोची जा रही है कि परिवार व्यवस्था क्यों टूट रही है या कमजोर क्यों हो रही है। मैंने भी इस मुद्दे पर बहुत गहराई से विचार किया तो पाया कि स्वतंत्रता के शीघ्र बाद ही भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था को सम्मिलित परिवार व्यवस्था के रूप में बदल दिया गया। इस बदलाव के कारण परिवार व्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। आपके मन में यह प्रश्न लगातार उठ रहा होगा कि संयुक्त परिवार और सम्मिलित परिवार में फर्क क्या होता है? संयुक्त परिवार का मतलब यह होता है कि परिवार के सभी सदस्य एक–दूसरे के सहभागी होते हैं न कि सिर्फ सहयोगी। जबकि सम्मिलित परिवार में कोई एक सदस्य परिवार का प्रमुख होता है और बाकी अन्य सदस्य उसके सहयोगी होते हैं। परिवार के मुखिया के सहायक होते हैं सहभागी नहीं होते। यह सहयोगी और सहभागी का जो अंतर है यही परिवार व्यवस्था के अंदर संयुक्त परिवार और सम्मिलित परिवार के फर्क को साफ करता है। यह अंतर ही सम्मिलित परिवार व्यवस्था के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है। लंबे समय से भारत में परिवार व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही है और सामाजिक व्यवस्था को मजबूती से थामे हुए है। इसलिए अब तक इतने सारे षड्यंत्र के बाद भी भारत कि परिवार व्यवस्था समाप्त नहीं हो पाई है। लेकिन किसी वर्ग विशेष को संवैधानिक संरक्षण और नए–नए कानूनों द्वारा वर्ग भेद को बढ़ावा देने के कारण धीरे–धीरे समाप्त होने की दिशा में जा रही है। मेरा सुझाव है कि हम इस गंभीर समस्या पर फिर से विचार करना शुरू करें।

भ्रष्टाचार के मामलों में मैंने प्रायः देखा है कि कुछ भ्रष्टाचारी अपना रेट बढ़ाने के लिए बहुत कठोर निर्णय लेते हैं। इससे भ्रष्टाचारियों को दो लाभ मिलता है– एक तो लोग भयभीत हो जाते हैं और दूसरे उनके खुद के भ्रष्टाचार का रेट बढ़ता है। न्यायपालिका में भी भारी भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है। फिर भी नोएडा के ट्विन टावर प्रकरण में काफी कठोर निर्णय लिया गया। जबकि निर्मित भवन का सामाजिक हिट में सदुपयोग हो सकता था। ऐसी कौन–सी परिस्थिति थी कि न्यायपालिका को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ गया। नासमझी भरा यह फैसला किस नियत से लिया गया, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। वैसे तो इस

समय भारत में न्यायिक तानाशाही चल रही है ऐसी परिस्थिति में हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा। अभी यदि विधायिका गलत करेगी या करती है तो न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है लेकिन यदि न्यायपालिका ही गलत करेगी तो हमारे पास समीक्षा का कोई मार्ग नहीं बचा है। इसलिए हमें इस विषय पर फिर से सोचना चाहिए

12– न गांधीवादी ना सावरकरवादीय नासमझी है परेशानी–

गांधीवादियों में अनेक गांधीवादी मेरे निकटतम मित्र हैं। सावरकरवादियों में भी अनेक सावरकरवादी मुझसे काफी निकटता से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही लोग बेहद ईमानदार हैं और शरीफ हैं। लेकिन मेरे सामने ये दोनों ही बहुत समस्या पैदा कर देते हैं। मैं नरेंद्र मोदी और गांधी दोनों का समान रूप से प्रशंसक हूँ, चूंकि नरेंद्र मोदी गांधी की दिशा में आगे बढ़ कर अब पंडित नेहरू की नीति को पलट रहे हैं। एक तरीके से वर्तमान में नरेंद्र मोदी गांधी की नीति को लागू कर रहे हैं। मैं लंबे समय से सोचता रहा हूँ कि गांधी की दिशा में नरेंद्र मोदी को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए लेकिन मेरे सामने संकट पैदा हो जाता है कि जब मैं गांधी की प्रशंसा करता हूँ तो मेरे यह शरीफ सावरकरवादी गांधी को गालियां देने लगते हैं और मुझसे भी नाराज हो जाते हैं। जब मैं मोदी की प्रशंसा करता हूँ तो मेरे यह भले और शरीफ गांधीवादी मोदी की आलोचना करने लगते हैं और मुझसे नाराज हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि यह नासमझी है। अच्छे होते हुए भी इनमें अकल की कमी है इसलिए यह लोग दोनों एकजुट होकर मेरे खिलाफ कुछ–न–कुछ लिखते रहते हैं। लेकिन मुझे यह भरोसा है ईश्वर पर कि इस प्रकार के नासमझ गांधीवादियों और सावरकरवादियों को समझदार बनाया जाएगा और मेरी समस्या दूर हो जाएगी।

13– गुजरात आरटीआई मामला–

गुजरात से एक नया समाचार प्राप्त हुआ है कि गुजरात में सूचना के अधिकार के अंतर्गत कुछ लोग बार–बार सूचनाएं देने के नाम पर सर कारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। वे लोग इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। वहां के सूचना आयुक्त ने इस प्रकार के दस लोगों के नाम छांट कर उन दस लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अर्थात यह दस लोग अब जीवन भर किसी प्रकार की सूचना ना मांग सकेंगे, ना ही प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार की कार्यवाही का देशभर में समर्थन भी हो रहा है और विरोध भी हो रहा है। ये दोनों समर्थन और विरोध एक साथ हो रहा है। यह बात विचारणीय है कि क्या यह कार्यवाही उचित है। मैंने भी इस संबंध में गंभीर विचार किया। मेरे विचार से सूचना के अधिकार का जो प्रावधान है यह भ्रष्टाचार को रोकता भी है और बढ़ाता भी है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत अधिकांश कार्यकर्ता (सूचना का अधिकार) सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सूचना के अधिकार के नाम पर एनजीओ बना लिए है और उसको अपनी

दुकानदारी समझकर चला रहे हैं। यह बात सही है क्योंकि मुझे इसका व्यक्तिगत रूप से कटु अनुभव है। लेकिन सूचना के अधिकार के द्वारा ब्लैकमेल उन्हीं लोगों को किया जा रहा है जिन लोगों ने बड़ी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भ्रष्टाचार में उनका भी हिस्सा हो, इस प्रकार के लोग अपनी भागीदारी चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें गलत क्या है। भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण होना तो अच्छी बात है। इसका सीधा–सा समाधान यही है कि आप खुद में पारदर्शिता लाइए अथवा सब कुछ का निजीकरण कर दीजिए। निजीकरण यदि होगा तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और सरकारीकरण होगा तो उसमे भ्रष्टाचार निश्चित रूप से होगा। और भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार में दूसरे लोग हिस्सा जरूर मांगेंगे। और उस हिस्सेदारी में आरटीआई कानून का दुरुपयोग करने वाले भी शामिल हैं इसलिए अपनी हिस्सेदारी के लिए ये लोग आपस में लड़ते हैं। चूंकि,अंततोगत्वा इससे तो आम जनता को लाभ ही होगा, इसलिए मैं तो आरटीआई के पक्ष में हूँ।

14 –प्रेम विवाह और पारिवारिक–सामाजिक व्यवस्था–

भारत में दो विपरीत विचारधाराओं के बीच लगातार बराबरी के लिए संघर्ष चल रहा है। एक विचारधारा है सांप्रदायिक जिसमें नेहरू परिवार ने मुसलमानों और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। एक बार देश का विभाजन हो चुकने के बाद भी विभाजन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी विचारधारा उन लोगों की है जो इस विचारधारा के विरुद्ध लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता पर नियंत्रण हो और समान नागरिक संहिता लागू हो। पहली विचारधारा यह प्रचार करती है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा और तरह–तरह की बीमारियां यह अधिक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। पहली विचारधारा के अनुसार सांप्रदायिकता कोई समस्या नहीं है। दूसरी विचारधारा यह कहती है कि देश के विभाजन का खतरा एक बड़ी समस्या है। देश में वर्ग–संघर्ष एक बड़ी समस्या है। गरीबी, आर्थिक असमानता, अशिक्षा, बेरोजगारी यह सब नकली समस्याएं हैं। इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक कड़ा संघर्ष चल रहा है और मैं व्यक्तिगत रूप से सांप्रदायिकता के विरुद्ध हूँ। मैं तो यह मानता हूँ कि यह गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा आदि की समस्याएं नकली हैं। वास्तविक समस्या तो है देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता का मजबूत होना। वास्तविक समस्या है देश के विभाजन का खतरा पैदा होना। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं आप अपनी बात स्वतंत्रतापुर्वक रख सकते हैं।

उत्तराखंड में एक सवर्ण लड़की का अवर्ण लड़के के साथ प्रेम–संबंध होने के कारण लड़की ने लड़के से विवाह कर लिया। इस विवाह से दुखी लड़की के परिवार वालों ने उस लड़के की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप हत्यारे गिरफ्तार हो

गए और अब हत्या के मामले में उन्हें कानून के अनुसार दंड भी मिलेगा। लेकिन इस विषय पर समाज में भी एक नई बहस छिड़ गई है। बहस का विषय है कि क्या इस तरह जातिवाद का बदला लेना खतरनाक नहीं है। मैंने भी इस संबंध में बहुत विचार किया। मेरे विचार से हत्या करना निश्चित ही अपराध है चाहे वह किसी भी कारण से क्यों ना की जाए। लेकिन हत्या किसी सामाजिक कारण से होती है तो यह जघन्य अपराध नहीं है, छोटा अपराध है और निंदनीय नहीं है। यदि हत्या किसी स्वार्थवश होती है तब वह हत्या दंडनीय के साथ–साथ निंदनीय भी होती है। जो हत्या लड़की के परिवार वालो ने की है उसमें हत्या करने वालों की नियत खराब नहीं थी बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं को बचाने के उद्देश्य से उसने यह गलत कार्य किया। यदि यह कार्य किसी बुरी नियत से किया जाता तब वह अवश्य ही निंदनीय कार्य होता जबकि इस हत्या में ऐसा कुछ नहीं था। जो भी सामाजिक कुरीतियां होती है मात्र उन कुरीतियों को बदले जाने की जरूरत है। इसके लिए सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने वाला तरीका उचित नहीं है। लड़की ने जो प्रेम विवाह किया उससे लड़की को भी बचना चाहिए था फिर भी यदि लड़की विवाह करती है तो उसे किसी हालत में मारा नहीं जा सकता। लेकिन जब तक मारने वाले की नियत खराब नहीं है तब तक उस अपराध को निंदनीय भी नहीं माना जा सकता है।

जातिवाद और छुआछूत एक सामाजिक बुराई है। इस बुराई के खिलाफ हमेशा जन जागरण जारी रहना चाहिए। इस तरह प्रेम विवाह भी एक सामाजिक बुराई है। इस प्रेम विवाह की बुराई को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए भले ही हम इस तरह के विवाह के लिए किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। विवाह करना किसी भी वयस्क स्त्री–पुरुष के लिए उसका मौलिक अधिकार है। समाज में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ–साथ परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को भी सामाजिक संरक्षण की आवश्यकता है। उस लड़की ने अपने मौलिक अधिकार का उपयोग किया और परिवारिक व सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ा इसलिए इस प्रकार के किसी कार्य को प्रोत्साहित करना ठीक नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग करता है तो उसे परिवार कदापि दंडित भी नहीं कर सकता। भले ही परिवार और समाज को बहिष्कार करने की स्वतंत्रता है लेकिन दंडित करने की नहीं। दंड तो केवल कानून ही दे सकता है। कानून की नजर में लड़की ने व्यस्क होने पर प्रेम विवाह करके कोई भी अपराध नहीं किया लेकिन जिन लोगों ने उस लड़के की हत्या की है उन लोगों ने सामाजिक रूप से गलत कार्य और कानूनी रूप से अपराध किया है। उन्हें कानून के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। हमें चाहिए कि प्रेम विवाहों को महिमामंडित करके पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था को छिन्न –भिन्न करने की गलती ना करें। हालाँकि जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध जन जागरण हमेशा जारी रहना चाहिए।

आत्म समीक्षा–

हम दो मित्रों ने एक साथ जीवन यात्रा शुरू की। हमारे मित्र पहले कट्टर संघवाले थे और बाद में कट्टर वामपंथी हो गए। मैं तटस्थ रहा, हमेशा मध्यमार्गी रहा। मेरे मित्र गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते और मैं गलत बात को हमेशा बर्दाश्त कर लेता हूँ। यहां तक कि मैं गालियां भी सुन लेता हूँ। मेरे मित्र पूरी तरह ईमानदार हैं, बहुत परिश्रमी हैं और उनकी तर्कशक्ति भी ठीक है। मैं इस मामले में अपने मित्र की तुलना में कमजोर हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ही घोषित कर दिया था कि मैं दो नंबर का आदमी हूँ। मेरे मित्र में यह कमजोरी है कि वह पूंजीवाद को गालियां देते हैं वह हमेशा पूंजीपतियों की आलोचना करते हैं और वह हमेशा कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम असहमत हो जाते हैं। उनके स्वभाव में पूँजीपतियों या अन्य प्रगति करने वालों के प्रति जलन का भाव है और वह इस आवेश से पीड़ित हो गए हैं। मैं इसके ठीक विपरीत हूँ। मैं कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मुझे किसी की प्रगति से कभी कोई जलन नहीं होती। अब हम दोनों ही वृद्ध हो गए हैं। वह बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं जो भी वह फेसबुक वगैरह में लिखते हैं तो एक ही बात बार–बार लिखते हैं जबकि मैं इस मामले में सभी विषयों पर कुछ ना कुछ अपनी बात जाहिर करते रहता हूँ। उनके मन में कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई देती है जबकि मैंने शुरू से ही राजनैतिक महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया था। हम दोनों ही एक साथ दुनिया को ठीक करने चले थे लेकिन ना वह कुछ कर सके और ना मैं ही कुछ कर सका। एक मेरे मित्र है जो इसके लिए दुनिया को दोषी मानते हैं और एक तरफ मैं हूँ जो यह मानता है कि दुनिया धीरे–धीरे ठीक दिशा में जा रही है। मैं अपने को सफल मानू या उनको सफल मानू मैं खुद कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन हम दोनो अपने को ठीक मान रहे हैं।

बदला–बदला सा भारतीय मुसलमान – मतलब मोदी पर भरोसा एक सही फैसला

पिछले सप्ताह वाराणसी मंदिर के मामले में जो न्यायालय का फैसला आया वह मुसलमानों के खिलाफ था। उस मामले में देश भर के मुसलमानों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वह बदले हुए वातावरण का संकेत देती हैं। ओवैसी या महबूबा मुफ्ती के बयानों के बाद भी आमतौर पर मुसलमान शांत रहा है। वाराणसी में भी पूरी तरह शांति रही है। इस पर दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने भी दूरी बनाकर रखी है। ऐसा लगता है कि भारतीय मुसलमानों को राम मंदिर निर्णय के बाद से ही कुछ नए वातावरण का आभास होता जा रहा है। भारत के मुसलमानों को यह भी महसूस हो रहा है कि विपक्षी राजनीतिक दल वोटों के लालच में कभी भी अपना रुख बदल सकते हैं। फिर भी अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है कि भारत के मुसलमानों ने हिंदुओं को समान अधिकार देना स्वीकार कर लिया है। नेहरू परिवार के शासनकाल में जिस तरह मुसलमानों को उम्मीद बन गई थी कि वह कश्मीर भी

अलग करा लेंगे और विशेष अधिकार भी लेते रहेंगे। धीरे–धीरे एक और विभाजन करा लेने की उनकी वह उम्मीद टूटती दिख रही है। किंतु अभी भी वे अगले दो–तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सच्चाई को स्वीकार करने में मुसलमान जितनी देर करेंगे उतना ही वह नुकसान में रहेंगे। क्योंकि धीरे–धीरे मुसलमानों की बातें सुन– सुन कर हिंदुओं में भी कट्टरता बढ़ रही है। हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच टकराव खत्म हो और टकराव को खत्म करने का सिर्फ एक ही आधार है कि भारत का मुसलमान अपने विशेष अधिकार छोड़कर हिंदुओं को भी समान अधिकार देना स्वीकार कर ले। धीरे–धीरे ऐसा वातावरण बन तो रहा है किंतु उसकी गति बहुत कम है और विपक्षी दल अपनी राजनैतिक रोटी सेकने के लिए मुसलमानों को हमेशा ढाल बनाए रखना चाहते हैं। मेरा हिंदुओं से भी निवेदन है कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी सरकार तथा न्यायपालिका बहुत अच्छे तरीके से शांति पूर्वक इस समस्या का समाधान कर रही है। अब हम सब को चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने के अतिरिक्त इस हिंदू मुस्लिम समस्या के विषय में कोई चिंता ना करें। अगले दो वर्षों में मुस्लिम समर्थक राजनैतिक दल किनारे हो जाएंगे और भारत में सदा–सदा के लिए हिंदू मुस्लिम टकराव समाप्त हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम सरकार पर भरोसा करें और उसका समर्थन भी करते रहें।

हिन्दी दिवस पर हिन्दी–

आज हिंदी दिवस है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार तेज गति से बढ़ रही है क्योंकि हिंदी सहज और सरल भाषा है। हिंदी को आगे बढ़ने में उसकी योग्यता और क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी को आगे बढ़ने के लिए किसी सरकारी या सांस्कृतिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सर्वमान्य है कि किसी भाषा को जब सरकारी और सांस्कृतिक सहयोग मिलता है तब उससे उस भाषा को लाभ कम और नुकसान अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार हिन्दी के साथ भी होना है। हिंदी के विकास के लिए जितना सरकार से सहयोग मिलता है उसकी तुलना में कई गुना अधिक सहयोग अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत करने में प्रदेश सरकारें अपनी मददगार की भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार की भूमिकाओं के कारण हिंदी को नुकसान होता है।

भाषा की स्थापना में सरकारी प्रयत्न लाभ भी, हाँनि भी –

भाषा विचार अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है। भाषा को किसी भी रूप में संस्कृति के साथ जोड़ना उचित नहीं है। भाषा वक्ता के अनुसार नहीं बल्कि श्रोता के अनुसार तय होती है। वक्ता अपनी बात श्रोता को बताना और समझाना चाहता है और श्रोता उसे उसी रूप में समझना चाहता है इसलिए वक्ता को किसी भी भाषा से विशेष प्रेम नहीं होना चाहिए। श्रोता जिस भाषा में वक्ता के आशय को ठीक–ठीक समझ सकता

है उसी भाषा में विचार रखना अच्छा होता है। भारत की सरकारी कामकाज की भाषा सिर्फ हिंदी होनी चाहिए कोई अन्य नहीं। प्रदेश सरकारें चाहें तो अपना कार्य किसी भी दूसर भाषा में अथवा अपनी प्रादेशिक भाषा में कर सकती है लेकिन सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी को भी आप बाध्य नहीं कर सकते कि उसे अपना कार्य चलाने के लिए किस भाषा का उपयोग करना होगा। यदि आप इस संबंध में किसी अन्य को बाध्य करते हैं तो वह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाना चाहिए। लोहिया जी के आंदोलन में अंग्रेजी के बोर्ड जिस तरह से बलपूर्वक हटाए जा रहे थे वह पूरी तरह गलत था। उसी तरह तमिलनाडु सरकार भी गलत कर रही थी। मेरा यह मत है कि भाषा को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने दीजिए। हिंदी अपने आप स्थापित हो जाएगी। भाषा को सरकारी या सांस्कृतिक हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए।

पुलिस के पक्ष में एक दलील –

पिछले दो दिनों में मैंने पुलिस वालों से संबंधित चार घटनाओं को प्रत्यक्ष देखा और समझा। पहली घटना में एक जिला न्यायाधीश किसी पुलिस अधिकारी को एक मामूली सी भूल को लेकर बड़ी बेरहमी से प्रताड़ित कर रहा था। खुले न्यायालय में अपराधियों और वकीलों के सामने उस पुलिस कर्मचारी को जिस तरह जलील किया जा रहा था वह बहुत दुखद था। दूसरी घटना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपनी गाड़ी से उतरकर एक रिक्शे पर बैठकर कहीं जाना चाहते थे। पुलिस अधिकारी अपने दायित्व निर्वहन के अंतर्गत सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री जी को कुछ निवेदन करते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप मुख्यमंत्री उस पुलिस अधिकारी को जिस तरह अपमानित करते हैं,जिस भाषा में प्रश्न उत्तर करते हैं कि बेचारा पुलिसवाला सिर झुकाकर अपमान बर्दाश्त कर रहा है। एक तीसरी घटना में एक पुलिस अफसर अपने क्षेत्र के थाना चेकिंग के दौरान किसी गलती के कारण अपने पुलिस वालों को थोड़ी देर के लिए अघोषित दंड स्वरूप हवालात में बंद कर देते हैं। पुलिसवालों में थोड़ा सुधार हो इसीलिए यह एक अनुशासनात्मक कार्यवाही थी और फिर कुछ देर बाद बाहर सबको हवालात से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन सरकार उस पुलिस अफसर को दंडित करती है। चौथी घटना में एक व्यक्ति लाल बत्ती होने के बावजूद भी सड़क पार करने की कोशिश करता है तो कोई पुलिस वाला उसे कई गालियां देकर एक दो झापड़ पीटता भी है। वह व्यक्ति गरीब है और शिकायत नहीं करता है। फिर भी सरकार उक्त पुलिस वाले को दंड दे देती है।

उपरोक्त चारों ही घटनाएं टीवी में प्रसारित हुई। विचारणीय प्रश्न यह है कि एक पुलिस वाला किसी नेता या जज की अनुचित और अपमानजनक टिप्पणियां सिर झुका कर चुपचाप सुन लेता है और उसके बाद भी उक्त सीएम और न्यायाधीश को सलामी देकर सम्मान पूर्वक चला जाता है। दूसरी ओर,वही पुलिस वाला किसी

गलती के लिए किसी के साथ थोड़ा भी दुर्व्यवहार करता है तब मीडिया से लेकर राजनैतिक नेता तक सब उस पुलिस वाले को दंडित कराने में अपनी शान समझते हैं। शासकीय कर्मचारी और राजनेताओं अथवा न्यायाधीशों के बीच यह दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह न्यायालय में न्यायाधीश अथवा नेता लोग अन्य सरकारी कर्मचारियों को अपमानित करना अपने लिए लाभदायक मान रहे हैं और उसके बदले में सरकारी कर्मचारी खुला भ्रष्टाचार करने के कारण उनकी गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या है। न्यायपालिका और विधायिका से जुड़े लोगों को इस संबंध में सोचने की जरूरत है।

– पूर्व में मैंने नेता,जज और पुलिस पर एक टिप्पणी की थी। मेरा लिखने का आशय यह था कि पुलिस वाला अच्छी नीयत से किसी को पीटता है तो उतना भी दोषी नहीं है जितना दिखता है और नेता व न्यायाधीश अपना रौब जमाने के लिए बुरी नीयत से पुलिस वाले को डांटते हैं तो उतनी भी अच्छी बात नहीं है जितनी दिखती है। प्रश्न सिर्फ नीयत का है। यदि कोई किसी को अच्छे उद्देश्य से पीटता है तो वह मारपीट गैरकानूनी तो हो सकती है, विचारणीय भी होगी, लेकिन अपराध नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति बुरी नीयत से किसी को पीटता है तब वहां अपराध माना जाना चाहिए । इक्का–दुक्का घटनाएं ही आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें बल प्रयोग करके पुलिस वाले कोई अपराध करते हों। साधारणतः पुलिस वाले अपराध करते ही नहीं हैं और कभी–कभी ही ऐसा होता है कि पुलिस वाले गलतियों के लिए पीटते हैं। जबकि नेता और जज अपने को हाईलाइट करने के उद्देश्य से पुलिस वालों को डांटते हैं। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने अथवा न्यायालय मे न्यायाधीश ने जिस तरह पुलिस वाले को डांटा–फटकारा, वह किसी भी दृष्टि से जनहित के लिए उचित नहीं था। लेकिन अगर पुलिस अफसर ने पुलिस वालों को लॉकअप में सुधार के लिए भी बंद किया अथवा किसी पुलिस वाले ने किसी राह चलते व्यक्ति को गलती के लिए दो झापड़ मार दिया तो यह दोनों घटनाएं जनहित में थे और सामाजिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए उचित था। लेकिन हमारी व्यवस्था ने उस पुलिस सुपरिंटेंडेंट को या उस मारने वाले पुलिस वाले को तो दंडित किया और खुलेआम पुलिस वालों को कटु शब्द कहने वाले और पुलिसवालों का मनोबल तोड़ने वाले इन नेताओं या न्यायाधीशों की आलोचना तक नहीं हुई। मैं इसे पक्षपात मानता हूँ।

–समाज में बढ़ती हिंसा की एकमात्र वजह, पश्चिम की व्यवस्था और पश्चिम के कानूनों की अंधाधुंध नकल–

बेगूसराय में चार युवक मोटरसाइकिल से घूमने निकले और बिना किसी वजह के कुछ लोगों को गोलियां मारने लगे। करीब तीस किलोमीटर तक अंधाधुंध गोलीबारी की यह घटना होती रही और लोग ऐसी घटना को तमाशबीन बने देखते रहे। महाराष्ट्र के सांगली में भी कुछ लोगों ने चार राहगीर साधुओं को बिना किसी कारण

के बुरी तरह पीटा और पीटने का बाद में बहाना बनाया कि हमें इनके बच्चा चोर होने का संदेह था। जबकि हकीकत में ऐसा कोई कारण नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी कुछ युवकों ने दो लड़कियों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि वह लड़कियां इन युवकों से किसी बात पर असहमत थी। स्पष्ट है कि तीनों ही घटनाओं में हिंसा का कोई मजबूत आधार नहीं था।

लगातार हो रही ऐसी तमाम घटनाओं के आधार पर यह अनुभव किया जा रहा है कि बल प्रयोग हिंसा और हत्या के मामले में आम नागरिकों के बीच में कानून,पुलिस और न्यायालय का डर घटता जा रहा है। लोग कानून तोड़ने और हिंसा करने से भयभीत तो है ही नहीं बल्कि कभी–कभी तो इसका औचित्य भी सिद्ध करने लगते हैं। इसका मुख्य कारण आम नागरिकों में नहीं, बल्कि देश के राजनैतिक वातावरण तथा देश के कानूनों में है। इसके लिए वर्तमान राजनैतिक वातावरण और देश में वर्तमान मे प्रचलित कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। पिछले सत्तर वर्षो के संसदीय इतिहास में कानून बनाने वाली संसद में हिंसा समर्थक लोगों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक चुनाव के बाद बढ़ता चला गया है। इन कानून बनाने वालों ने हिंसा, बलप्रयोग और हत्या की तुलना में कभी गांजा तो कभी अफीम, कभी आदिवासी,कभी हरिजन अपमान, कभी दहेज तो कभी अवयस्क बलात्कार आदि विषयों को अधिक गंभीर अपराध मान लिया। यह कितना गलत कानून है कि यदि अवयस्क बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो अधिक कड़ा दंड दिया जाता है और किसी व्यस्क की हत्या हो जाती है तो उसका दंड इतना कठोर नहीं होगा। समाज में एक गलत धारणा फैलाई गई कि बलपूर्वक की गई डकैती की तुलना में बलात्कार अधिक बड़ा अपराध है। समाज में महिला–पुरुष संबंधों के बीच पुरुषों को शोषक और महिलाओं को शोषित के रूप में सिद्ध करने के लिए अनावश्यक और गलत कानून बने। अवैध गांजा,अफीम या ड्रग्स रखने को, अवैध बंदूक और अवैध पिस्तौल की तुलना में अधिक गंभीर अपराध मान लिया गया।

छूआछूत एक सामाजिक बुराई है लेकिन वोटों के लालच में आदिवासियों और हरिजनों को अन्य वर्गों की तुलना में अधिक अधिकार दे दिए गए। जब हत्या जैसे जघन्य अपराध की तुलना में बलात्कार,ड्रग्स,छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को अधिक कठोर,घातक और दंडनीय माना जाएगा तो समाज में हिंसा बढ़ना स्वाभाविक है। मेरा तो यह स्पष्ट मत है कि पश्चिम के कानूनों की अंधी नकल भारत में हिंसा बढ़ाने का मुख्य कारण है। इस संबंध में हमारे देश की विधायिका और न्यायपालिका को गंभीरता से सोचना चाहिए।

व्यवस्था परिवर्तन लोक – लोक स्वराज सम्मेलन ग्रेटर नोएडा –

हम लोगों का ज्ञान मंथन व ज्ञान चर्चा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम निर्बाध गति से चल रहा था। परिवार सशक्तिकरण अभियान, समाज सशक्तिकरण अभियान आदि कई

तरीके के कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाने के बाद हम लोग ग्राम संसद अभियान भी ठीक–ठाक ही चला रहे थे। ज्ञान मंथन और ज्ञान चर्चा के माध्यम से लोक स्वराज, ग्राम संसद आदि का व्यवस्था परिवर्तन हेतु प्रचार प्रसार में हम सब साथी लगे हुए थे कि तभी अचानक मार्च 2020 में विश्व स्तरीय कोरोनावायरस के चलते अपनी सारी गतिविधियों को तत्काल रोकना पड़ा हमारे साथी जहां कहीं भी फंसे थे बड़ी मुश्किल से अपनी–अपनी जगह वापस लौट पाए। कोरोना काल में हम लोगों को, पाठकों तक ज्ञान तत्व पत्रिका पहुंचाने में भी काफी कठिनाई हुई हम लोग भी बड़ी कठिनाई से सितंबर 2020 में रामानुजगंज होते हुए रायपुर में आकर स्थाई हो पाये।

25 दिसंबर 2020 को अपने जन्मदिवस पर बजरंग मुनि जी ने अपने कर्म सन्यास की घोषणा कर दी तब से ही यह संस्था यानी मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने लगी है जिसका नया और संक्षिप्त नाम अब मार्गदर्शक संस्थान (MADS) कर दिया गया है। संरक्षक–मार्गदर्शक के रूप में श्रीबजरंग मुनि जी समय–समय पर हम साथियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। साल 2021 के अंत तक, स्थिति में सुधार हुआ और फिर हम लोगों ने निर्णय लिया सभी साथियों को एकजुट करने का। हम लोगों ने इसके लिए बजरंग मुनि जी के कार्य क्षेत्र रामानुजगंज को सुना जहां से इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का बीजारोपण किया है स्वराज्य और संविधान पर खोज की है।

रामानुजगंज में अप्रैल 2022 में दो दिवसीय लोक स्वराज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया उसमें हाय देशभर के साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि लोक स्वराज्य की अवधारणा से देश का प्रत्येक व्यक्ति परिचित होना होना चाहिए। जन–जन तक लोक स्वराज का प्रचार होना चाहिए। लोक ही असली मालिक है और तंत्र उसका सेवक इस विचार का वास्तविक भाव समाज में अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित–प्रसारित किया जाना आवश्यक है, अतः रामानुजगंज के बैठक में ही यह तय हो गया था कि समाज की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए वर्तमान लोक नियुक्त तंत्र वाली लोकतंत्र की गलत परिभाषा में सुधार करनी चाहिए तथा लोक नियुक्त तंत्र की जगह इसका अर्थ लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिए। इन्हें प्रारंभ से ही लोकतंत्र की भ्रम पूर्ण परिभाषाएं पढ़ाई गई हैं जो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है, समाज का दमन इसी भ्रम पूर्ण परिभाषाओं के दम पर हुआ है।

रामानुजगंज के बैठक में ही यह तय कर लिया गया था कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन करेंगे जिसमें देश के सभी गणमान्य बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा उनसे लोक स्वराज्य विषय पर व्यापक चर्चा होगी और इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा में लोकराज्य सम्मेलन का दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ।

3 व 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के VSK फार्म में मार्गदर्शक संस्थान

(MADS) के तत्वाधान में लोक स्वराज टीम द्वारा आमंत्रित देश के प्रख्यात मौलिक चिंतक– विचारक, समाजशास्त्री–समाज विज्ञानी, राजनीति–अर्थशास्त्र एवं संविधान विशेषज्ञ श्रद्धेय बजरंग मुनि जी ने लोक स्वराज अभियान के दो दिवसीय सम्मेलन में देश भर से शामिल हुए प्रतिभागियों के साथ वर्तमान में विश्व और भारत की वास्तविक समस्याओं, चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार रखे। संविधान और न्यायपालिका पर उन्होंने अपने विचार रखते हुए असफल हो चुकी वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली बनाम लोक स्वराज्य, वर्तमान भारतीय संविधान और उर्फ राज व्यवस्था के अंतर्गत लोक स्वराज व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संविधान, समान नागरिक संहिता, कट्टरपंथी इस्लामिक विस्तारवाद बनाम मोदी सरकार, वर्ग–विद्वेषक बनाम वर्ग–समन्वय आदि मुद्दों पर मौलिक चिंतन और नई व्यवस्था की दृष्टि से विस्तार से अपना मत स्पष्ट किया।

बजरंग मुनि जी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे। मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने वर्तमान भारत में लोकतंत्र की दशा, लोकतंत्र और हमारा समाज, लोकतंत्र और संविधान, ऐसे अनेक आयामों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत आजादी के बाद संवैधानिक रूप से आजाद तो हो गया लेकिन समाज गुलाम ही रह गया। विदेशी गुलामी से मुक्ति मिली तो, समाज को संवैधानिक गुलामी में जकड़ दिया गया, जहां समाज को सर्वोच्च होना चाहिए वहां समाज गुलाम बना हुआ है। भारत का संविधान अनेक देशों के संविधान के कुछ प्रमुख अंशो का वेमेल संग्रह मात्र है, बेमेल इसीलिए कि वह भारतीय लोक नीति से यहां की लोक परंपरा से कतई सामंजस्य नहीं बिठा सकता है। वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष की अनेक संभावनाएं संविधान में डाल दी गई है जिसका पूरा–पूरा लाभ राजनीतिक दल वाले उठाते हैं समाज की एकजुटता कायम करने का कोई प्रयास नहीं होता है संविधान को ऐसा होना चाहिए जो समाज को अपराध मुक्त बना सके, समाज को श्रम शोषण से मुक्ति दिला सके, किसी भी व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव ना हो सके, समान नागरिक संहिता लागू हो सके लोक स्वराज जी की अवधारणा पर काम हो सके। लेकिन संविधान में इनके ठीक उल्टा कर दिया गया है यह संविधान की नाकामी ही है की समाज में स्वार्थ आक्रोश और हिंसा भाव व्यक्ति व्यक्ति में बढ़ता जा रहा है और विदेशी कानून इसमें मददगार है।

मुनिजी ने कहा कि शिक्षा को प्रश्रय दिया जा रहा है और ज्ञान समझदारी उपेक्षित अपमानित है। लोगों में विचार करने की शक्ति नहीं रही है सिर्फ प्रचारक की भूमिका में अपने कर्तव्य की इतिश्री लोग समझने लगे हैं। भारत के संसदीय इतिहास में राजीव के शासनकाल में दल–बदल विधेयक पारित हुआ जिसे हम काला कानून कह सकते हैं। पहले हमारे सांसद जहां हमारे जनप्रतिनिधि थे इस काले कानून के बनने के बाद वह हमारे प्रतिनिधि ना रहकर अपने दल के प्रतिनिधि हो गए हैं। अब वह अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रख भी नहीं सकते हैं, इस कारण सांसदों की खरीद

बिक्री तक होने लगी है। विधायिका और न्यायपालिका में कौन अधिक शक्तिशाली हो इसके लिए हमेशा नूरा कुश्ती इनके बीच होती ही रहती है। होना तो यह चाहिए था कि लोकअर्थात समाज सबसे ऊपर होता और समाज के नीचे संविधान, संविधान के द्वारा संचालित तंत्र और तंत्र के द्वारा अनुशासित जनता लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो कि लोकतंत्र के साथ एक धोखा हुआ है। संविधान में बदलाव का अधिकार भी तंत्र के पास ही सुरक्षित है यानी तंत्र संविधान से भी ऊपर है जबकि तंत्र को तो जनसेवक ही होना चाहिए था लेकिन वह आज मालिक की भूमिका में है। यह बिल्कुल उल्टी स्थिति है जिसे मालिक होना चाहिए वह नौकर है गुलाम है और जिसे नौकर होना चाहिए वह मालिक बना हुआ है।

सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में अपने जीवन के 67 वर्ष की अवधि में उनके द्वारा किये गये निरंतर चिंतन–मनन, विचार–विमर्श और शोध एवं निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने ने स्पष्ट रूप से इस बात की वकालत की कि जब तक वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक अव्यवस्था बराबर बनी रहेंगी। वर्त्तमान शासन प्रणाली में समस्याओं के समाधान होते दिख नहीं रहे हैं और समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रयास व्यवस्था द्वारा किये जा रहे हैं उनसे समस्याओं का समाधान होने की जगह वह उन्हें और अधिक जटिल बना रहा हैं।जिस तंत्र को लोक नियंत्रित करने की कल्पना करते हुये रूपरेखा/योजना बनाई गई थी वह आज मात्र लोक द्वारा नियुक्त तंत्र बनकर रह गया हैं ।हमने पश्चिम की नकल करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था की नकल तो कर ली मगर हुआ यह कि जिसे प्रबंधक बनाया था वहीं आज मालिक बन बैठा हैं और मालिक (देश की जनता/समाज) उसका गुलाम बन कर रह गया है। अब यह समझ में नहीं आ रहा हैं जिसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक दी थी उससे बंदूक कैसे वापिस लें ।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों ही एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप व अतिक्रमण कर रहे हैं। परिवार व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा हैं और और वर्तमान व्यवस्था में समाज की भूमिका शून्य की जा रही हैं। उनका मानना हैं कि वर्तमान में लोकस्वराज ही एकमात्र ऐसा विकल्प प्रतीत होता हैं जो इस लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी एवं राष्ट्र और समाज के हित में अधिक उपयोगी बना सकता है जिसमें तंत्र लोक द्वारा नियुक्त तो होगा ही, उस पर लोक का नियंत्रण भी होगा। राज्य की भूमिका बहुत सीमित व स्पष्ट होगी। वह परिवार और समाज के विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

अंत में इसी क्रम में, विभिन्न सत्रों के विभिन्न विषयों पर जिज्ञासु साथियों के द्वारा बजरंगमुनि जी से पूछे गए प्रश्नों और उनके समाधानपरक उत्तरों के साथ सम्मेलन संपन्न हुआ।

हमारी संस्थाएँ

- मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान
- ज्ञान यज्ञ परिवार

संस्थान के कार्य

- समाज विज्ञान पर विश्वव्यापी रिसर्च तथा निष्कर्ष निकालना।

परिवार के कार्य

- देश भर में ज्ञान केन्द्रो का इस तरह विस्तार कि वहाँ स्वतंत्र विचार मंथन हो तथा संवाद प्रणाली विकसित हो।

कार्यक्रम

- ज्ञान चर्चा- प्रतिदिन शाम साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक किसी एक पूर्व घोषित विषय पर स्वतंत्र वेबिनार।
- ज्ञान मंथन- प्रत्येक रविवार को जूम एप के माध्यम से दोपहर ग्यारह बजे बजरंग मुनि जी द्वारा पूर्व निर्धारित विषय पर विचार प्रस्तुति तथा सोमवार को ग्यारह बजे उक्त विषय पर प्रश्नोत्तर ।
- मार्गदर्शक मंडल- ऐसे न्यूनतम पाँच सौ लोगों की टीम तैयार करना जो समाज विज्ञान पर रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं।
- ज्ञान कुंभ- वर्ष मे दो बार पंद्रह-पंद्रह दिनो के ज्ञान कुंभ जिसमे मार्ग दर्शक मंडल के लोग स्वतंत्र विचार द्वारा प्रतिदिन दो-दो विषयों पर निष्कर्ष निकाल कर समाज को दें।

माध्यम

- ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका
- फेसबुक एप से प्रसारण
- वाट्सएप ग्रुप से प्रसारण
- जूम एप पर वेबिनार
- यू टयूब चैनल
- इस्टाग्राम
- टेलीग्राम
- कू एप

हमारी जूम चर्चा से जुड़ने के लिए अपनी रिक्वेस्ट दिए गए नंबर '7869250001' पर वॉट्सऐप कर दीजिए, आपको ZOOM लिंक भेज दी जाएगी

पंजीकृत पाक्षिक
पंजीकरण क्रमांक-68939/98

डाक पंजीयन क्रमांक- छ.ग./रायगढ़/010/2022-2024

प्रति,

श्री/श्रीमती _____

_____

_____

_____

संदेश

वर्तमान संसदीय लोक तंत्र में तो संसद एक जेल खाना है। जहां हमारा भगवान रुपी संविधान कैद है। भगवान को जेलखाने से मुक्त कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना ही होगा। लोक संसद के लिये आंदोलन इसका प्रारंभिक चरण है। लोक स्वराज्य मंच ने इसकी पहल की है। लोक स्वराज्य मंच से जुड़िये और अपने भगवान को जेलखाने से मुक्त कराने की पहल कीजिए।

- बजरंगलाल

पत्र व्यवहार का पता

पता - बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बॉक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492001
Website : www.margdarshak.info

प्रकाशक, सम्पादक व स्वामी - बजरंगलाल

09617079344

Email : bajrang.muni@gmail.com
support@margdarshak.info
Facebook Id : बजरंग मुनि (User Name)

मुद्रक - माया प्रेस रामानुजगंज, सरगुजा (छ.ग.)